न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 36 / 2023
अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

रेशमाराम बनाम चनणाराम व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री प्रेमराज पंवार
विप्रार्थीगण वकील – श्री भवानीशंकर विप्रार्थी सं. 1
श्री रामजीवन विश्नोई विप्रार्थी सं. 2
श्री बलवन्तसिंह चौधरी विप्रार्थी सं. 4 से 9

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

:: निर्णय ::

दिनांक – 04.02.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा शिवपुरा में खसरा सं. 253 / 248, 249 / 146 रकबा क्रमशः 3.7231, 3.9416 हैक्टयर पटवार क्षेत्र सणाऊ तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की ओर अधिवक्ता श्री भवानीशंकर व विप्रार्थी सं. 2 की ओर श्री रामजीवन विश्नोई एवं विप्रार्थी सं. 4 से 9 की ओर अधिवक्ता श्री बलवन्तसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण उभपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विप्रार्थी सं. 4 से 9 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि मेरे खेत मौजा नवोणी मेगवालो की ढाणी (गोलियार) के मूल खसरा 146 के बट्टा संख्या खसरे की आवेदन में दोनो पक्षकार का समान हित व भौतिक कब्जा होने से प्रार्थी के साथ–साथ विप्रार्थी संख्या 4 से 9 अपने खसरा संख्या 229 / 146 रकबा 72 बीघा मौजा नवोणी मेगवालो की ढाणी तहसील [illegible] भौतिक कब्जा काश्त के जरिये काउंटर क्लैम के द्वारा धारा 111,128 रा.भू. राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:34 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया प्रार्थी के खेत की नेखमबंदी के साथ—साथ मेरे खेत की भी नेखमबंदी की जावें।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि मेरे नेखमबंदी प्रार्थना पत्र अनुसार मेरे खातेदारी का खेत मौजा शिवपुरा (सणाऊ) में खसरा सं. 253/248, 249/146 रकबा क्रमशः 3.7231, 3.9416 हैक्टयर, तहसील चौहटन की पक्की नेखमबंदी कि जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाने साथ—साथ विप्रार्थी सं. 4 से 9 की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी के साथ—साथ विप्रार्थी सं. 2 टाऊराम एवं विप्रार्थी सं. 4 से 9 की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील चौहटन के मौजा शिवपुरा में खसरा सं. 253/248, 249/146 रकबा क्रमशः 3.7231, 3.9416 हैक्टयर पटवार हल्का सणाऊ एवं मौजा नवोणी मेघवालों की ढाणी में खसरा संख्या 229/146 रकबा 11.6549 हैक्टेयर, पटवार हल्का सणाऊ की नेखमबंदी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/— फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि मौके पर कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए जमाबंदी में दर्ज हक—हिस्से अनुसार दोनो पक्षो के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:34 IST
Reason: SelfAttested